राजस्थान कर बोर्ड,अजमेर

अपील संख्या 1333/2013/जोधपुर

सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी,
प्रतिकरापवंचनप घट–प्रथम,झुन्झुनूॅ — अपीलार्थी

बनाम

मैसर्स कट्स एण्ड कर्वस
जोधपुर — प्रत्यर्थी

एकलपीठ
श्री सुनील शर्मा,सदस्य

उपस्थित

श्री जमील जई
उप राजकीय अभिभाषक — अपीलार्थी की ओर से

श्री ओ.पी.माहेश्वरी
सी.ए. — प्रत्यर्थी कीं ओर से

निर्णय दिनांकः 14.03.2014

निर्णय

यह अपील सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी, प्रतिकरापवंचन,घट प्रथम, झुन्झुनूॅ (जिसे आगे कर निर्धारण अधिकारी कहा जायेगा)ने उपायुक्त (अपील्स) प्रथम, वाणिज्यिक कर, जोधपुर (जिसे आगे अपीलीय अधिकारी कहा जायेगा) के द्वारा अपील संख्या 46/आरवेट/12–13 में पारित आदेश दिनांक 08.02.2013 के विरूद्ध प्रस्तुत की है।

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि कर निर्धारण अधिकारी ने दिनांक 18.10.2012 को वाहन संख्या आरजे 18–जीए–4243 को गुलाबठी, उत्तर प्रदेश से जोधपुर के लिए कर योग्य इमारती लकडी के परिवहन के दौरान झुन्झुनूॅ में चेक किया गया। कर निर्धारण अधिकारी द्वारा वाहन में परिवहनित माल से सम्बन्धित दस्तावेज मांगे जाने पर वाहन चालक ने माल से सम्बन्धित बिल, बिल्टी एवं घोषणा पत्र वैट–47 क्रमांक 755203 आदि दस्तावेज प्रस्तुत किये। कर निर्धारण अधिकारी ने प्रस्तुत दस्तावेजों की जांच पर पाया कि दस्तावेजों के साथ प्रस्तुत किया गया प्रपत्र वैट–47 संख्या 755203 अवधिपार (**Time bared**) है। कर निर्धारण अधिकारी ने कालातीत प्रापत्र वैट–47 किये जाने को करापवंचन की मंशा से माल का परिवहन करना मानते हुए कारण बताओ नोटिस जारी किया। नोटिस की पालना में प्रस्तुत जवाब को सन्तोषप्रद नहीं मानते हुए कर निर्धारण अधिकारी ने राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 (जिसे आगे अधिनियम कहा जायेगा) की धारा 76 (6) के अन्तर्गत कर रू. 44,532/– व शास्ति रू. 95,425/–आरोपित कर दी। उक्त आरोपित कर एवं शास्ति से क्षुब्ध होकर प्रत्यर्थी व्यवहारी ने अपीलीय अधिकारी के समक्ष अपील प्रस्तुत की। विद्वान अपीलीय अधिकारी ने अपील के गुणावगुण पर विचार करने के पश्चात आदेश दिनांक 08.02.2013 पारित कर आरोपित कर एवं शास्ति को अपास्त कर प्रत्यर्थी व्यवहारी की अपील स्वीकार की है। अपीलीय अधिकारी के अपीलाधीन आदेश दिनांक 08.02.2013 से क्षुब्ध होकर राजस्व की ओर से यह अपील प्रस्तुत की गई है।

अपीलार्थी की ओर से विद्वान उप राजकीय अभिभाषक ने अभिवाक् किया कि कर निर्धारण अधिकारी ने वक्त चेकिंग परिवहनित माल के सम्बन्ध में प्रस्तुत दस्तावेजों की जांच कर पर पाया कि प्रस्तुत दस्तावेजों के साथ प्रस्तुत घोषणा पत्र वैट–47 कालातीत है, जिससे अधिनियम की धारा 76 (2) (बी) सपठित नियम 53 के अन्तर्गत माल की कीमत रू. 3,18ख084/– पर 30 प्रतिशत की दर से शास्ति रू. 24,630/–शास्ति एवं 14 प्रतिशत की दर से कर रू. 44,532/–आरोपित किया, जो पूर्णतः उचित है। उन्होंने अपने कथन के समर्थन में माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्णय मैसर्स गुलजग इण्डट्रीज के निर्णय को उद्धृत करते हुए आरोपित कर एवं शास्ति को उचित बताते हुए अपीलीय अधिकारी के आदेश को अपास्त करने का निवेदन किया।

प्रत्यर्थी व्यवहारी की ओर से विद्वान अभिभाषक ने कथन किया कि परिवहनित माल के साथ अधिनियम के अन्तर्गत विहित किये गये सभी दस्तावेज. थे, इसलिए कर निर्धारण अधिकारी द्वारा आरोपित शास्ति उचित नहीं है। उनका कथन है कि प्रस्तुत किये गये दस्तावेजों में यथा : बिल एवं बिल्टी में प्रेषक एवं प्रेषिति के नाम पते, माल की मात्रा एवं माल की समस्त विगत अंकित थी। उनका कथन है कि परिवहनित माल के सम्बन्ध में समस्त जानकारी प्रस्तुत दस्तावेजों से होती थी मात्र घोषणा पत्र वैट–47 अवधिपार होने के आधार पर कर एवं शास्ति आरोपित किया जाना विधिक नहीं है। उनका कथन है कि प्रत्यर्थी व्यवहारी द्वारा उनकी सप्लायर फर्म मैसर्स सहारा टिम्बर ट्रेडर्स, गुलाबठी, बुलन्दशहर (यू.पी.) को अग्रिम रूप से वैट–47 भिजवा दिया गया था जैसा कि माल के आयात के पूर्व वैट–47 प्रेषिक को भेजना आवश्यक है ताकि माल के परिवहन के पहले ही आवश्यक विवरण भरा जा सके। उन्होंने कथन किया कि उनके द्वारा वैट–47 माह अप्रैल–2012 में ही प्रेषक को भिजवा दिया गया था परन्तुं प्रेषक द्वारा माल की कमी की वजह से विलंबित रूप से दिनांक 17.10.2012 को माल भिजवाया गया तथा यह तथ्य वक्त सुनवाई कर निर्धारण अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत किये गये थे। उन्होंने अपने कथन के समर्थन में प्रेषक फर्म का दिनांक 7.2.2.2013 का पत्र पेश किया, जिसमें प्रेषक द्वारा माल विलंम्ब से भेजने की वैद्यता अवधि की जानकारी नहीं होने का उल्लेख किया गया है। उनका कथन है कि भूलवश प्रस्तुत घोषणा पत्र वैट–47 की अवधि बढवाई नही जा सकी। उनका यह भी कथन है कि प्रस्तुत घोषणा पत्र पैट–47 मूल था,जो पूर्ण रूपेण भरा हुआ था एवं उसका इन्द्राज लेखा पुस्तकों में किया हुआ था,जिससे उसकी करापवंचन की मानसिकता प्रमाणित नहीं होती है । उनका कथन है कि अपीलार्थी कर निर्धारण अधिकारी द्वारा केवल कालातीत घोषणा प्ररूप वैट–47 प्रस्तुत करने के कारण कर एवं शास्ति आरोपित की है, जो विधिसम्मत एवम् उचित नहीं है । अपने उक्त कथन के समर्थन में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के न्यायिक दृष्टांत 120 एस.टी.सी. 212 मैसर्स महावीर चंद एण्ड सन्स के प्रकरण में हुये निर्णय को प्रोद्धरित कर कथन किया कि माननीय

राजस्थान उच्च न्यायालय ने अवधि पार घोषणा प्ररूप की प्रस्तुति को मात्र एक तकनीकी अनियमितता होना अवधारित किया है,जिसका सारगर्भित अंश निम्न प्रकार है :–

"where it was held that on the expiry date, the form St 18A does not become non-est and the very same form can be revalidated and given life for a further period by concerned officer."

इसके अतिरिक्त उन्होंने अपने कथन में समर्थन में उन्होंने अपने कथन के समर्थन में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के हालिया निर्णय मैसर्स सेरा टेक इण्डिया बनाम सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी, भिवाडी 2013 टैक्स अप डेट वाल्यूम 35 पर्ट–2 पेज 49 एवं मैसर्स हीरामनी फूड प्रोडक्टस, किशनगढ बनाम सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी, उडनदस्ता, बांसवाडा एवं अन्य 2013 टैक्स अप डेट वाल्यूम 36 पार्ट 2 पेज 37 में प्रकाशित निर्णयों को आधार बनाते हुए कथन किया कि उक्त दोनों निर्णयों में राजस्थान राज्य बनाम मैसर्स डी पी मेटल्स के प्रकरण में जो सिद्धान्त अवधारित किया है कि वह इस प्रकरण में भी पूर्णतः लागू होते हैं। उन्होंने उक्त कथन के आधार पर अपीलीय अधिकारी के अपीलाधीन आदेश को उचित बताते हुए प्रस्तुत अपील अस्वीकार करने का निवेदन किया।

उभय पक्ष की सुनी गयी तथा उपलब्ध रिकार्ड का अवलोकन किया गया। उपलब्ध रिकार्ड के अवलोकन से ज्ञात होता है कि पत्रावली पर बिल, बिल्टी एंव घोषणा पत्र वैट–47 संख्या 755203 उपलब्ध है तथा सेल इनवाईस संख्या 006 दिनांक 17.10.2012 जो पत्रावली पर उपलब्ध है। पत्रावली पर उपलब्ध घोषणा पत्र वैट–47 संख्या 755203, 18 जून, 2010 को विभाग द्वारा जारी किया गया है, जो जारी करने की दिनांक से दो वर्ष की अवधि तक वैध है, जबकि अभियोग दिनांक 18.10.2012 को बनाया गया है, इस प्रकार प्रस्तुत किया गया घोषणा पत्र कालातीत है, परन्तु इस आधार पर कर व शास्ति का आरोपण अनुचित एवम् अविधिक है, जैसाकि इस संबंध में माननीय न्यायालय ने यह सिद्धांत प्रतिपादित किया है कि इसे संबंधित कर निर्धारण अधिकारी से पुनः वैद्य कराया जा सकता है।

प्रत्यर्थी व्यवहारी द्वारा जानकारी में आने पर कि वक्त जांच पाया गया वैट–47 अवधिपार है, जिसके सम्बन्ध में नोटिस प्राप्त होने पर, नोटिस के जवाब के साथ प्रत्यर्थी व्यवहारी द्वारा विभाग से नया घोषणा पत्र वैट–47 ए–1227701 दिनांक 18.10.2012 जारी करवाकर कर निर्धारण अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत कर दिया गया है। उक्त सन्दर्भ में प्रत्यर्थी व्यवहारी द्वारा उद्धृत निर्णयों पर विचार किया जाना समीचीन होगा। माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा मैसर्स सेरा टेक इण्डिया बनाम सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी,उडनदस्ता, भिवाडी 2013 टैक्स अप डेट वाल्यूम 35 पार्ट–2 पेज 49 के प्रकरण में पारित निर्णय के सारगर्भित अंश निम्न प्रकार है :–

"M/s Cera Tech India Vs Asstt. Commercial Taxes Officer, Bhiwadi, 2013 Tax-Up Date (35) Part-2, Page 49, considered this issue and held as under :-

The Hon'ble Supreme Court of India in case of D.P. Metals (supra) has categorically held that on show cause notice with regard to alleged contravention/deficiency found in respect of goods in transit, if the deficiency/contravention is removed, with the filing of the requisite document by the assessee imposition of penalty ought to be eschewed. In the instant case if is not in dispute that form VAT 47 was furnished to ACTO, who checked the vehicle with the reply to show cause notice on the very same day. That being the position, there is no escape from the inevitable conclusion that the petitioner assessee could not have been found in contravention of Section 76(2)(b) of the RVAT Act. Other documents such as invoice and transport receipt were also by themselves indicative of the bonafides of the transit of goods. Following the judgment in case of D.P. Metals (supra), I am of the considered view that at the first instance on the very same day the petitioner assessee having furnished Form VAT-47 to ACTO, and the petitioner could not have been found to be in contravention of Section 76(2)(b) of the RVAT Act or visited with penalty under Section 76(6) of the RVAT Act."

उपरोक्त सन्दर्भ में मैसर्स हीरामनी फूड प्रोडक्टस, किशनगढ बनाम सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी,उडनदस्ता बांसवाडा 2013 टैक्स अप डेट वाल्यूम 36 पार्ट 2 पेज 37 में प्रकाशित प्रकरण में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के द्वारा घोषणा पत्र प्रस्तुत करने के सम्बन्ध में निम्न सिद्धान्त प्रतिपादित किया है :—

"The fact remains that in the present case the assessee even furnished the declaration form in VAT-47 on the very next date of giving of notice on 5.3.2009 i.e. on 6.3.2009. There is no finding in the impugned order passed by the assessing authority on 6.3.2009 itself that such declaration form or bills or bilties already found with the transit on 5.3.2009 are false, forged or unreliable in any manner. In these circumstances, the imposed penalty cannot be found to be justified."

".............On the other hand, the different benches of this Court, consistently held that in such circumstances where declaration forms are furnished immediately upon giving of notice to the assessee, unless the same are found to be false and forged, the penalty can not be sustained. In the case of ACTO vs M/s Tata Iron and Steel company Ltd. (supra), the coordinate bench of this Court held as under."

"It is very clear that though the provisions of Section 78(5) of the Act, have been held to be just, proper and valid but it is not automatic, the principles of natural justice, demand an opportunity to be given to rebut and if the documents are produced then the benefit of producing the documents ought to have been given to the assessee and no penalty should have been imposed. Therefore, the aforesaid judgment of the Hon'ble Apex Court is squarely applicable in the facts and circumstances of the present case."

माननीय उच्च न्यायालय द्वारा उपरोक्त निर्णयों में प्रतिपादित सिद्धान्त के आलोक में कर निर्धारण अधिकारी द्वारा अधिनियम की धारा 76 (6) के अन्तर्गत आरोपित कर एवं शास्ति उचित नहीं है। फलस्वरूप अपीलीय अधिकारी के अपीलाधीन आदेश दिनांक 08.02.2012 को यथावत रखते हुए राजस्व की ओर से प्रस्तुत अपील अस्वीकार की जाती है।

निर्णय सुनाया गया।

(सुनील शर्मा)